1. नवीन आवेदन के लिए पोर्टल cmsolarpump.mp.gov.in को ओपन करें |

💍 मुख्यमंत्री सीलर पंच योजना	× +	-
← → C ① Not secure	e cmsolarpump.mp.gov.in	☆ 😳 🗟 🖬 📒
🖽 Apps 💧 PROJECT TRACKER.	L. 🚺 DPR-Tribel 🗶 ActivityPlanulus - G 😭 Project Status of In 😭 CLR.MP APP/WEB 🖌 (Inc. 😭 TL CASES - (Google 🕲 SillePey Merchant I
A- A A*		● RHD ● DEPARTMENT LOG-IN
मुर्	ख्यमंत्री सोलर पंप योजना 🥑 नडीन	आवेदन करे 🥑 पूर्व वर्ष आवेदन 🎆
होग हमारे बारे में	र फोजन्च के खरे में मियम एवं दिशा-निर्देश किला कार्यालय संचर्क	
	and the second second	

2. यहाँ नवीन आवेदन करें पर क्लिक कर प्रक्रिया प्रारंभ करें | जिससे नुम्नानुसार स्क्रीन प्राप्त होगी |

← → (O Not secure cmsolarpump.mp.gov.in/SolarApplication/Login_Mobil PROJECT TRACKER_ DPR-Tribal X ActivityPlanulus - G_ Project Sta	le atus of In 🔽 CLR MP APP/WEB 🥒 Hz; 🌄 TL CASES - Google 🚱 SBiePay Merchant
	मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	
	होम → मोबाइत लॉग इन	
	लॉग इन क्यों आवश्यक हे ?	मोवाइल लॉग इन
	लॉग इन के प्राथमध्य से गह जान किया जाना है कि गोजना के हमसक गई अलेटन	अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें
1	करने वाला व्यक्ति कौन है। ताकि आवेदक से भविष्य में संपर्क स्थापित किया जा सके एवं समय समय पर आवश्यक जानकारी प्रदान की जा सके। तॉग इन की प्रक्रिया क्या है? लागहन के लिए आपके पास वैध एवं चालू मोबाइल फोन होना आवश्यक है। कृषक का मोबाइल नेबर ही उसका लागइन-आईठी होगा। लागइन की प्रक्रिया निम्नानुसार है. 1. संपेंधधम कृषक को अपना मोबाइल इस स्ठीन में दायीं ओर दिए गए निर्धारित स्थान पर डाल कर OTP भेजें पर खितक करना होगा।	अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें OTP भेलें रिक्त करें

3. यहाँ पर कृषक का मोबाइल नंबर जिससे पंजीकरण करना हो, दर्ज करें | एप्लीकेशन मोबाइल पर OTP भेजकर सही नंबर की जाँच करेगा | OTP सत्यापन के उपरांत कृषक की सामान्य जानकारी दर्ज की जानी होगी |

आवेदक का नाम (अंग्रेजी) *		आवेदक का नाम (हिंदी) *		पिता / पति का नाम *	
जिला *		तहसील *		गांव *	
	•		•	गांव का चयन करें	•
तोकसभा *		विधानसभा *			
	•		•		
पेन कोड		मोबादल नंबर -		ईमेल आईठी	
होंग *					
🗄 पुरुष 🗢 महिला 🔍 अन्य					

4. एक बार सामान्य जानकारी भरने के उपरांत आपको निम्नानुसार स्क्रीन प्राप्ती होगी |

 रामन्य आधार e-KYC[™] 	🖌 बेंक अकाउंट	🖌 समग्र सत्यापन 🕑 जाति घोषणा	🖌 खसरा मैपिग	🖌 सोत्तर पंप 🖌 जानकारी एक नजर में	
सामान्य जानकारी					
आवेदक का नाम (अंग्रेजी) *		आवेदक का नाम (हिंदी) *		पिता / पति का नाम *	
Draw -		arder -		aria -	
1944	•	opino -	•	गांव का बयन करें	
तोकसभा *		विधानसभा •			
	•		•		
থিন কান্ত		मोबाइल नंबर *		ईमेल आईठी	

5. यहाँ पर कृषक का आधार ईकेवायसी, बैंक अकाउण्ट संबंधी जानकारी, जाति स्वघोषणा, जमीन से सम्बंधित खसरे की जानकारी एवं चाहे गए सोलर पंप की जानकारी दर्ज की जानी होगी | जिसके प्रत्येक चरण नीचे दिए गए हैं-

a. आधार eKYC – किसी भी व्यक्ति की पहचान को स्थापित करने के किये केवायसी किया जाता है जो कि अंग्रेजी शब्द Know Your Customer का छोटा रूप है | योजना के प्रावधानों के अनुरूप आधार आधारित ई- केवायसी (e-KYC) किया जाना आवश्यक है |आधार आधारित ई- केवायसी करने से व्यक्ति की पहचान संबंधी जानकारी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्राप्त हो जाती है जिससे आवेदक को किसी भी तरह के अन्य पहचान प्रमाण को जमा करने की जरूरत नही होती है |इसे करने के लिए दो आप्शन उपलब्ध कराये गए हैं (i) OTP द्वारा (ii) बायोमेट्रिक द्वारा | जिस व्यक्ति का मोबाइल नंबर आधार से लिंक नही है उसका eKYC बायोमेट्रिक मशीन द्वारा किया जा सकता है |

Field Marked With * Are Mandatory to be Filled		
Select Aadhar Number/Virtual ID *	Aadhar Numb	ber
Enter Aadhar Number/Virtual ID*		
Select e-KYC Mode *	● OTP	Bio-Matric
Send OTP मैं उर्जा विकास निगम को मेरे आधार से संबंधित ज सहमति प्रदान करता हूँ। मुझे प्राप्त जानकारी अनुसार हेतु ई-केवायसी (e-KYC) आधारित सत्यापन करने के	जानकारी MPSEDC / इसका उपयोग मुख्य लिए किया जावेगा।	AUA के माध्यम से प्राप्त करने एवं साझा किए जाने की मंत्री सोलर पंप योजना के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने Next

E-KYC नाम :	
E-KYC आधार क्रमांक :	XXXXXXXX3445
E-KYC किये जाने कि दिनांक :	11-02-2020 13:12
E-KYC किये जाने कि नेटवर्क IP :	164.100.146.66

यदि किसी कारणवश आधार eKYC नही हो पाता है तो पोर्टल 3 प्रयासों के बाद स्वघोषणा पर आगे की कार्यवाही जारी रखेगा | यहॉं यह उल्लेखनीय है कि ऐसे प्रकरणों में दी गयी जानकारी का अलग से सत्यापन कराया जा सकता है एवं किसी तरह की भ्रामक एवं गलत जानकारी देने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है |

b. बैंक अकाउंट की जानकारी- आवेदक की बैंक संबंधी जानकारी रखने का उद्देश्य यह है कि यदि प्रकरण योजना अंतर्गत स्वीकृत नही होता है या कृषक भविष्य में योजना अंतर्गत लाभ नही लेना चाहता है तब पंजीकरण शुल्क / जमा किये गए कृषक अंश को दिए गए बैंक अकाउण्ट में वापसी जमा कराया जा सके |

वैंक खाता नाम *	बैंक खाता संख्या *
बैंक खाता नाम	बैंक खाता संख्या
बैंक IFSC कोड •	बैंक जानकारी प्राप्त करें
बैंक IFSC कोड	
🛕 पहले IFSC कोड दर्ज कर बैंक	जानकारी प्राप्त करें , जानकारी प्राप्त नहीं होने पर आप बैंक IFSC कोड,बैंक का नाम ,बैंक शाखा का दर्ज कर सुरक्षित कर सकते हैं
र्वेक का समा ।	र्वेक भारत का साए *
बैंक का नाम *	वैंक शाखा का नाम *
बैंक का नाम * बैंक का नाम	वैंक शाखा का नाम • बैंक शाखा का नाम

C. समग्र की जानकारी (वैकल्पिक) - आवेदक की डेमाग्राफिक जानकारी के लिए आवश्यक है कि उसका समग्र आईडी के माध्यम से सत्या्पन किया जावे | यहॉं पर आवेदक को अपना समग्र आईडी तथा परिवार आईडी की जानकारी दर्ज करना होगा | **d. जातिवर्ग की जानकारी-** आवेदक को अपनी जातिवर्ग (सामान्य, अन्य् पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) संबंधी स्वप्रमाणित घोषणा की जानी अनिवार्य है |

ाति का चयन करें	•	
जाति का चयन करें	•	
षणा करता/करती ।	कि मेरे द्वारा जातिवर्ग के सम्बन्ध में प्रदान की	गयी समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है।

C. खसरा मैपिंग की जानकारी - योजना प्रावधान अंतर्गत राज्य में कृषि भूमि पर ही योजना का लाभ ले सकते हैं ∣धारित कृषि भूमि के सत्यापन के लिए आवेदक के आधार नंबर से लिंक खसरे जो कि यहॉं दी गयी सारणी में आ रहे हैं, में से किसी खसरे में सोलर पंप लगाया जाना प्रस्तावित है, को चुनना होगा ∣यदि भूअभिलेख से खसरे प्राप्त नही होते हैं तो आवेदक अन्य खसरे चुन सकता है एवं आगे की कार्यवाही जारी रख सकता है | चुने गए अन्य् खसरे का सत्यापन अलग से किया जा सकता है |

अप	ने आधार से जुड़े खसरे	देखने के लिए यहाँ क्लि	ाक करें	
	अन्य खसरे लिंक व	करने हेतु क्लिक करें		
				Next

(**i**) आधार से जुडे खसरे प्राप्त करना – यदि कृषक के खसरे की जानकारी आधार से जुडी हुई है तो सिस्टम स्वतः ही खसरों की सूची ले आवेगा | यहां उल्लेखनीय है कि आधार से जुडे खसरे लाने के लिए सम्बंधित कृषक का eKYC होना आवश्यक है |



उक्त स्क्रीन अनुसार जिस भी खसरे को लिंक करना है उसे चुनकर आधार से जुडे खसरे लिंक करने के लिए क्लिक करें बटन पर क्लिक कर करने से खसरे आवेदन के लिए सूचीबद्ध हो जावेगें |

(ii) यदि सम्बंधित कृषक के खसरे आधार से संलग्न नही हैं तो अन्य खसरे लिंक करने हेतु क्लिक करें बटन पर क्लिक करने से सिस्टम आपको निम्नानुसार स्क्रीन उपलब्ध करावेगा

जिला *		तहसील *	गांव *	
जिले का चयन करें	•	तहसील का चयन करें	 गांव का चयन करें 	•
खसरे * खसरे का चयन करें				•
500000				· ·

यहाँ से कृषक की भूमि जिस भी ग्राम में है, उस ग्राम को चुनें, सिस्टम चुने गए ग्राम के समस्त खसरे सूची में उपलब्ध करावेगा | ध्यान रहे कि ग्राम चुनने पर सभी खसरे की सूची प्राप्त करने में सिस्टम को कुछ समय लगता है अतएव थोडा इंतजार करना होगा |

अब चुने गए खसरे को जोडने के लिए अन्य चुने खसरे लिंक करने के लिए क्लिक करें बटन को दबावें |

भापवे	रु द्वारा व	वुनें खस	रे निम्न	है ,सत्या	पन कर	सुरक्षित व	र्रि			
खाता चुनें	जिला	तहसील	गौव	हल्का	बसरा क्रमांक	भूमि स्वामी	खसरा क्षेत्र	खसरा	भूमि प्रकार	Action
	सिवनी	बरघाट		22	303		4.5300	303	निजी	x

अंत में मैं प्रमाणित करता/ करती हूँ कि मेरे द्वारा दी जा रही उपरोक्त जानकारी पूर्णत: सत्य है, के चेकबाक्स को चुनकर स्वप्रमाणन देते हुए खसरे चुनकर सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करें |

f. सोलर पंप जानकारी– अंत में चाहे गए सोलर पंप की जानकारी नीचे दिए गए फार्म अनुसार दर्ज की जानी होगी | यहां उल्लेखनीय है कि खसरा नंबर फील्डज में केवल वही खसरे नंबर आवेगें जो कि पूर्व चरण में जोडे गए हैं |

खसरा नंबर *	खेत खसरे पर विद्रपुत कनेक्शन की स्थिति *	View Location On MAP
श्वसरा नंबर का चयन करें 🔹 🔻	खेत खसरे पर विद्युत कनेक्शन की स्थिति का चयन	करें 🔹
वेद्रपुत कनेक्शन का नंबर	जल स्रोत जिस पर सोलर पंप लगता है *	
विद्युत कनेक्शन का नंबर दर्ज करें	जल स्रोत जिस पर सोलर पंप लगना है का चयन करें	
नल स्रोत का प्रकार *	भूमिगत जल की गहराई (फिट में) *	
जल स्रोत का प्रकार चयन करें 🔹	भूमिगत जल की गहराई दर्ज करें	
होरवेल की गहराई (किट में) *	दैनिक पानी की आवश्यकता (शी. में) *	
बोरवेल की गहराई दर्ज करें	दैनिक पानी की आवश्यकता दर्ज करें	
रसरतोत से पैनल की दूरी (फिट में) *	सोलर पंचिंग सिस्टम का प्रकार *	
जलस्तोत से पैनल की दुरी (फिट में) दर्ज करें	सोलर धींपैंग सिस्टम के प्रकार का चयन करें	•
वाहे गए सोलर पंप की जानकारी		
ोन्ट स्टीन किल्ला का स्टब्स हितप्राही (नि	व्यान) अंथ (हजार	formal also disfilia

जैसे ही आप सोलर पंर्पिंग सिस्टम का प्रकार चुनेगें, उसके नीचे दी गयी टेबल में कृषक अंश की राशि आ जावेगी |

स्रोलर पंपिंग सिस्टम का प्रकार	हितग्राही (किसान) अंख (हजार में)	डिस्कर्ज (शीटर में प्रतिदिन)
2 एव.पी. ठी.सी. सरफेस	23000	10 मी. के सिए 180000, चट ऑफ़ डायनेमिक हेड 12 मी.
		सुरवित करें Next

अब सुरक्षित करें पर क्लिक करके आवेदन के अंतिम चरण में जा सकते हैं |

g. जानकारी एक नजर में – अब अंत में पोर्टल सभी भरी गयी जानकारी को प्रदर्शित करेगा | यहाँ पर जाँच कर लेवें | आवश्यक होने पर किसी भी चरण पर जाकर जानकारी को बदला जा सकता है |

सामान्य 🕑 आधार e-KY	৫৫ 🌚 ৰ্বক अকার	🗢 🕑 समग्र सत्यापन 🕑 व	वाति घोषणाः 🥑 र	इसरा मैंपिंग 🥑 सोलर पंप	🕑 जानकारी एक नजर में
गपके द्वारा भरी गयी जानकारी नि	म्नानुसार है। कृषपा आ	गे बढने के पूर्व भरी गयी जानकारी क	ी जाँच कर सेवें एवं आ	वश्पक होने पर सुधार करें। इस व	वरण के बाद जानकारी में परिवर्तन मान्य न
4111					
ामान्य जानकारी 🥑					
ामान्य जानकारी 🥑					
ामान्य जानकारी 🥑 आवेदक का नाम (अंग्रेनी) :		आवेदक का नाम (हिंदी) :		पिता / पति का नाम :	
मानय जानकारी 🕑 आवेदक का नाम (अंग्रेनी) : जिला :		आवेदक का नाम (हिंदी) : तहसील :	-1	पिता / पति का नाम : गांव :	

सबसे अंत में आवेदक को योजना की दी गयी शर्तें तथा दी गयी जानकारी की सत्यता संबंधी स्वाघोषणा दिए गए चेकबाक्स पर क्लिक कर करनी होगी |

Insurance Claim हेंतु कार्यवाही कर सके। Insurance Company द्वारा मान्य होने पर ही टूट-फूट / चोरी या क्षतिस्त हेंतु सुधार कार्य मान्य होगा। 13. पम्प स्थापना के उपरांत स्थापनाकर्ता इकाई से उनके कम्पनी का मुख्यालय का दूरभाष नम्बर प्रदेश स्तर का शर्विस सेन्टर का दूरभाष नम्बर एवं जिला स्तर के प्रतिनिधि का दूरभाष नम्बर अवध्य प्राप्त करें। अ मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रदाप समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है तथा मैंने सोलर पम्प स्थापना के नियम, श्वर्ते एवं दिशा-निर्देश को पूर्ण समझ सिया है। कृपया जानकारी जाँव कर आवेदन को सुरक्षित करे	4. निर्धारित आवेदन के साथ निर्धारित राशि रू. 5,000/- "मध्य प्रदे प्राप्त होना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। 5. शोतर धम्य स्थल उपयुक्तधयन न होने पर पंजीवन राशि रू. 5, 6. निर्धारित लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में प्राप्त हू 7. चयन की सूचना मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम तिमिटेड द्वारा 8. राशि प्राप्त होने के परचात लगभग 120 दिवस में शोतर पम्पी क ऊर्जा विकास निगम का किसी भी प्रकार का कोई भी दायित, जिम्म 9. सोलर पम्प की स्थापना एवं संतोषप्रद्र प्रदर्शन उपरांत समस्त संय 10. इस योजना के तहत् स्थापित तोतर पम्प की जानकारी वाला खो 11. हितप्राहियां द्वारा आवश्यकता पहने पर मुख्य रोड से साईट (जा 12. किसी भी प्रकार की टूट-पूर्य-खेरी या क्षतिप्रस्त होने की स्थिति	ह ऊर्जा विकास निगम सिमिटेड, भोपाल-के पश्च में ऑनलाईन माध्यम से "मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम सिमिटेड, भोपाल-को आवेदन के साथ 200- निगम द्वारा आवेदक को वापिस होगी व कोई ब्याज देव नहीं होगा। ए समस्त आवेदनों का निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से हितप्राही कृषक का घवन किया जावेगा। देवे जाने पर हितप्राही कृषक को योष राशि ऑनलाईन माध्यम से पीघ्र ही मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड भोपाल को देनी होगी। १ स्थापना का कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में समयावधि बढ़ाई जा सकती है। स्थापना का कार्य पूर्ण करने में देरी होने पर म प्र वारी नहीं होगी। ब हितप्राही को सौंप दिया जाएगा। वे हितप्राही को सौंप पर लियाया जाएगा। ही पर सोतर पम्प की स्थापना की जानी है) वहाँ तक के ट्रान्सपोर्टेशन व स्थापना में सहयोग दिया जाना होगा। में तीन दिवस में पुलिस में एक आई आर. करें पूर्व स्थापनाकर्ता इकाई एवं जिला कार्यात्राय को भी तलागत सुचित करें। ताकि स्थापनाकर्ता इकाई
में घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रदाय समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य हे तथा मैंने सोलर पम्प स्थापना के नियम, श्रते एवं दिशा-निर्देश को पूर्ण समझ लिया है। कृपया जानकारी जाँच कर आवेदन को सुरक्षित करें	Insurance Claim हेतु कार्यचाही कर सकें। Insurance Compar 13. पम्प स्थापना के उपरांत स्थापनाकर्ता इकाई से उनके कम्पनी व	y द्वारा मान्य होने पर ही टूट-फूट / बोरी या क्षतिप्रस्त हेतु सुधार कार्य मान्य होगा। ध मुख्यालय का दूरभाष नम्बर प्रदेश स्तर का सर्विस सेन्टर का दूरभाष नम्बर एवं जिला स्तर के प्रतिनिधि का दूरभाष नम्बर अवश्य प्राप्त करें।
	में घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रदाय समस्त जानव कृपया जानकारी जाँच कर आवेदन को सुरक्षित करें	गरी पूर्णतः सत्य हे तथा मैंने सोलर पम्प स्थापना के नियम, श्रातें एवं दिशा-निर्देश को पूर्ण समझ लिया है

यहाँ से जानकारी को प्रिंट कर भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है | आवेदन को सुरक्षित करने पर पोर्टल आवेदन क्रमांक आवंटित कर SMS के माध्यम से सूचित करेगा तथा आपको आनलाइन पेमेण्ट हेतु आगे बढायेगा |



पंजीकरण शुल्क की राशि रू 5000 का भुगतान आनलाइन कि शेष राशी 18000 का भुगतान आवेदन के अनुमोदन के बाद कि एमपी आनलाइन तथा आनलाइन भुगतान के तरीके (नेट बैंकिग अनुसार उनके शुल्क अतिरिक्ति देय होगें। जो कि आगे आने वाले	या जावेगा। या जावेगा। 1, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या केश कार्ड) के 1 पेमेंट गेटवे पर उल्लेउखित रहेगें।
尾 मुख्यमंत्री सोलर पंप अनुदान यो	जना - पंजीकरण शुल्क
Application No.: 202012	Date : 11/02/2020
2 एच.पी. डी.सी. सरफेस	5000
Total amount :	₹5000

यहाँ पर Pay Now बटन पर क्लिक कर आनलाइन पेमेंट हेतु आगे बढा जा सकता है | पेमेण्ट गेटवे MPOnline के पेमेण्ट गेटवे के माध्य्म से संपन्न होगी | यहाँ पर एमपीआनलाइन के पेमेण्ट् गेटवे के चार्जेस जुडकर भुगतान किया जाना होगा |

Service Name:	Solar Pump Scheme	❀ KIOSK ◎ CITIZEN
Reference Number:	SL200211135858iX13	User ID:
Applicant Name:		
Amount:	RS. 5,000.00	Password:
Portal Charge:	Rs. 18.00	
Total Amount :	Rs. 5,018.00	8 + 1 =
Date And Time :	11/Feb/2020 02:00 PM	

यदि कृषक स्वयं अपने कंप्यूटर से आनलाइन भुगतान करना चाहता है तो Citizen आप्शन के माध्यम से आगे बढना होगा जिससे आनलाइन भुगतान के सभी विकल्प निम्नानुसार प्राप्त होगें –

Net Banking	Net Banking		
Debit / Credit Card	Free NetBanking for All Banks (HDFC CCAvenue PG) No transaction-processing fees for Net Banking of All Banks		
	Only for SBI A/C Holders No transaction-processing fees		
Wallet	SBI ePay For State Bank of India- Rs. 3.0 per Transaction. For Other Banks- Rs. 7.0 per Transaction.		
	Paytm Payment Gateway ₹ 5 + GST service charges as transaction-processing fees for every amount		
	PayGov India(All Major Banks) NDML for Govt. of India Rs 5 + service charges as transaction-processing fees for amount upto Rs 500,	<u>=222</u>	

पेमेण्ट हो जाने पर आवेदक को आवेदन क्रमांक प्राप्त हो जावेगा तथा SMS के माध्यम से भी सूचना प्राप्त हो जावेगी |